संख्या– 1365 /III(2)/21-39(एम.एल.ए.)2017

1437
EE(P)

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादून : दिनांक 20 मई, 2021

लोक निर्माण अनुभाग–2

विषयः– वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र– चौबट्टाखाल के अन्तर्गत विभिन्न 09 निर्माण कार्यो के प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे.का., लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा सलंग्न विवरणानुसार विषयगत कार्यो हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के 09 आगणनों, जिसकी कुल लम्बाई 36.50 किमी0 + 1 सेतु एवं लागत रू0 **257.925 लाख** है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त **संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि** रू0 **257.925 लाख (रूपये दो करोड़ सतावन लाख बयानब्बे हजार पाँच सौ मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु प्रति कार्य रू0 0.10 लाख (रूपये दस हजार मात्र) अर्थात 09 कार्यो हेतु रू0 0.90 लाख (रूपये नब्बे हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-383/III(1)/19-190(PWD)01टी.सी.II दिनांक 05.02.2020 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(ii) आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अमुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi) स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रॅक्यौरमेन्ट रूल्स–2017 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन.पी.बी., भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान संख्या–22 के सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों/उपमदों में विभागीय आय–व्ययक

(ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2022 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337–सड़क निर्माण कार्य–03 राज्य सेक्टर–0302 नया निर्माण कार्य–53 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–**98/XXVII(2)/2020 दिनांक 18 मई, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

सलंग्नक–उक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव

संख्या– **/III(2)/21-39(एम.एल.ए.)/2017 तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, 12 वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
10. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, नि0 / प्रा0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, जिला पौड़ी गढ़वाल।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या–1365 /III(2)/21-39(एम.एल.ए.)2017 दिनांक 20 ~~अप्रैल~~ मई, 2021 का सलंग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–चौबट्टाखाल के विकासखण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत ग्राम बरसूड़ी–भिलडधार–महरगांव तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। **(प्रथम चरण)**	5.00	43.10	0.10
2	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–चौबट्टाखाल के विकासखण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत ग्राम पटवालों–डान्डा–सिलवाणी –सगोडी हेतु मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। **(प्रथम चरण)**	4.00	28.00	0.10
3	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–चौबट्टाखाल के विकासखण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत सुरखेत गदेरे से खिदरपाल होते हुए नल्लूखेत, मैलदार, रणस्वा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। **(प्रथम चरण)**	3.00	20.73	0.10
4	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–चौबट्टाखाल के विकासखण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत ईडा मल्ला से ईडा तल्ला तक का नव निर्माण कार्य। **(प्रथम चरण)**	2.500	17.275	0.10
5	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत फरसाड़ी से पंचराड़ होते हुए ग्राम ठंगा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य **(प्रथम चरण)**	5.00+ 12mtr Brdg.	30.80	0.10
6	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत रैतपुर कलोगांव देवडाली तिल्स्या मोटर मार्ग के किमी. 3 से ग्राम रणाकोट कोटली हेतु मोटर मार्ग का निर्माण कार्य **(प्रथम चरण)**	4.00	27.35	0.10
7	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र–चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पोखड़ा में गवाणा मल्ला से गवाणा तल्ला तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। **(प्रथम चरण)**	5.00	28.34	0.10
8	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–चौबट्टाखाल के विकासखण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत भलगांव–क्यार्दा–महरगांव–सुरालगांव मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। **(प्रथम चरण)**	5.00	40.90	0.10
9	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र–चौबट्टाखाल के अन्तर्गत घेरूवा से गुजरखण्ड मलाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। **(प्रथम चरण)**	3.00	21.43	0.10
	योगः–	**36.50+01 Bridge**	**257.925**	**0.90**

(कुल रूपये नब्बे हजार मात्र)

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -1365/III(2)/21-39(MLA)2017
अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S21050220039
आवंटन पत्र दिनांक-20-MAY-2021

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-District and other Roads
	337-सडक निर्माण कार्य	03-राज्य सेक्टर
	02-नया निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02से स्थानान्तरित)	Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	460000	90000	0	550000
योग	460000	90000	0	550000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.90,000 (Rupees Ninety Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड़ देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd **E-mail: eicpwduk@nic.in**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पृ0सं0:– 438 /20 याता0'क' /21 दिनांक– 31-5-21

1–क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
2–अधीक्षण अभियन्ता 12 वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी।
3–अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी।
4–अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0 सैल प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय।
5–कनिष्ट अभियन्ता (प्राविधिक)/बजट वर्ग प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय।

28/5/21

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष